GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1014

TO BE ANSWERED ON 09th February, 2026

WELFARE, PENSION, AND HEALTHCARE ISSUES OF EX-SERVICEMEN AND VETERANS

1014 SMT. RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the total number of pending bills under the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) for empanelled hospitals and individual beneficiaries, year-wise, since 2020, the reasons for such delays;

(b) whether retired soldiers face difficulties in accessing healthcare under ECHS due to a shortage of funds, if so, the details thereof;

(c) the total number of ex-servicemen, including Emergency Commissioned Officers, Short Service Officers and jawans, who have been denied pension benefits despite completing eligible service; and

(d) whether Government acknowledges concerns that decisions related to the 8th CPC will directly impact the future pay and pensions of over 25 lakh veterans?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)

IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b) The Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) provides cashless and capless healthcare to ex-servicemen and other eligible beneficiaries through a wide network of polyclinics and empanelled hospitals. The number of ECHS polyclinics and empanelled hospitals under ECHS has grown over the last few years to provide better healthcare to its beneficiaries.

Processing of medical bills of empanelled hospitals and individual beneficiaries is a dynamic and time-taking process. Normally, bills generated in the last months of any Financial Year get cleared in next Financial Year. This result in some cyclic carry forward liability. Further, since the annual ECHS expenditure is growing year on year, occasional constraints in fund flow may, at times, impact the payment cycle. Continuous efforts are made to manage resources optimally and to address issues in coordination with the concerned stakeholders, so as to ensure uninterrupted medical services to ECHS beneficiaries. Grievances received from Ex-servicemen are monitored closely and appropriate remedial measures are taken.

(c) As per records, all eligible pension claims submitted by respective Head of Offices/Record Offices have been processed.

(d) It is a fact that Government of India has constituted the 8th CPS through a Gazette Notification dated 3rd November 2025.

*****

••§::www.govtstaff.com::§••

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1014
09 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों और वेटर्नों के कल्याण, पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

1014. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए लंबित बिलों की वर्ष 2020 से वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है, और ऐसे बिलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सेवानिवृत्त सैनिकों को निधि की कमी के कारण ईसीएचएस के तहत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमरजेंसी कमीशंड ऑफिसरों, शॉर्ट सर्विस ऑफिसरों और जवानों सहित उन भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें पात्र सेवा पूरी करने के बावजूद पेंशन लाभ से वंचित किया गया है; और

(घ) क्या सरकार इस चिंता को स्वीकार करती है कि 8वें सीपीसी से संबंधित निर्णयों का 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों के भविष्य के वेतन और पेंशन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को पॉलिक्लिनिकों और सूचीबद्ध अस्पतालों के एक वृहत नेटवर्क के माध्यम से कैशलेस और कैपलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। ईसीएचएस के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से ईसीएचएस के अंतर्गत पॉलिक्लिनिकों और सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ी है।

••§::www.govtstaff.com::§••

सूचीबद्ध अस्पतालों और व्यक्तिगत लाभार्थियों के चिकित्सा बिलों का प्रक्रमण एक गतिशील एवं समय लेने वाली प्रक्रिया है। सामान्य रूप से, किसी भी वित्त वर्ष के आखिरी महीने में जनित बिलों का निपटान अगले वित्त वर्ष में किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि ईसीएचएस का वार्षिक व्यय वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है, निधि प्रवाह में यदाकदा बाधाएं, किसी समय, भुगतान चक्र को प्रभावित सकती है। संसाधनों के इष्टतम प्रबंधन तथा संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय से मामलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। भूतपूर्व-सैनिकों से प्राप्त शिकायतों की ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती हैं और समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) रिकार्डों के अनुसार, संबंधित कार्यालयों के अध्यक्ष / रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी पात्र पेंशन दावों की प्रक्रिया कर ली गई है।

(घ) यह तथ्य है कि भारत सरकार ने दिनांक 3 नवंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 8वें सीपीसी का गठन कर दिया है।

****

••§::www.govtstaff.com::§••